पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 250/2022

अनवान :

राजेन्द्र पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।

:– वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
2. बलवन्त पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
3. मदनलाल पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
4. हनुमान पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
5. बिदामी उर्फ मीरा पत्नी राजकरण जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
6. रामकुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
7. सुबेसिंह पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
8. सरवती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
9. मैनी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणीयां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडिया छोटा के खाता सं0 90/98 के खसरा सं0 18 की 5.893है0 बारानी व रोही मौजा रामपुरा के खाता सं0 86/85 के ख0सं0 180/1 की 4.869है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी का नाम लीलुराम की बजाय राजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी सं0 5 का नाम मीरा की बजाय बिदामी दर्ज किया जाकर उक्त वादभूमि में रूकमा के नाम दर्ज कृषिभूमि में रूकमा का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 6 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 को 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 8 व 9 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच लीलुराम व मीरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में लीलुराम व मीरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी लीलुराम व मीरा के नाम ही प्रभावी माना जावेगा, तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24:05:2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner